## हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

\*\*\*

No.- FFE-B-F(2)-9/2022

Dated: Shimla-171 002, the 28th March, 2023

## **ORDER**

Subject:- Diversion of 0.9628 ha of forest land in favour of HIMURJA (H.P. Govt. Energy Development Agency), Kasumpti, Shimla-9, for the construction of Tauhak Small HEP (4.50 MW), within the jurisdiction of Parvati Forest Division Distt. Kullu, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/HYD/39301/2019)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्याः 8B/HP/01/08/2020/FC, दिनांक 15.03.2023 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.9628 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:—

- 1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
- 2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सोंपी जाएगी।
- 3. प्रतिपूरक वनीकरणः
  - (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 1.9256 है0 वन क्षेत्र Block/Compartment No. C-III, 1/4 Pajbang, Kasol Range, Parvati Forest Division at Shamshi, District Kullu, Himachal Pradesh में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक सम्भव हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।
- हि०प्र० वन विभाग माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C)
   No. 202/1995 के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

STECH



APUFCECA)
PUFCHOFF)
29/3/2023

- 5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 25 Trees and 11 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
- 7. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला क्लेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 8. The H.P. Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. The copy of the compliance for the same alongwith documentary evidence be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India.
- 9. H.P. Forest Department shall ensure that the User Agency shall comply the provisions of the all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas the time being in force, as applicable to the project.
- 10.H.P. Forest Department/User Agency shall ensure adherence to stipulated E-flow, as recommended by the Govt. of Himachal Pradesh, NGT, MoEF&CC, Gol and any other regulatory authority, for the conservation and development of aquatic flora and fauna.
- 11. Any other condition that the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the User Agency/H.P. Forest

- Department may ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
- 12. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user ageny or the project life, whichever is less.
- 13.पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
- 14. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
- 15.वन एवं आस—पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- 16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
- 17. प्रयोक्ता अभिकरण एवं हि०प्र० वन विभाग परियोजना पर लागू सभी कानूनी आदेशों, प्रावधानों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 18. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर RCC पिलर्स लगा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward, Backward बीयरिंग अंकित होंगे।
- 19. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
- 20.वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

- 21. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
- 22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख—रेख में ही पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।
- 23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना हि०प्र० वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 24. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
- 25. The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the H.P. Forest Department and to the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India regularly.
- 26. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

ओं कार चन्द्र शर्मा प्रधान सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated: Shimla-171 002 the, **28** March, 2023 Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.

2. The Regional Officer, Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.

L3. The Pr.CCF (HoFF), H.P. with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.

- 4. The Chief Executive Office, HIMURJA, SDA Complex, Kasumpti, Shimla.
- 5. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
- 6. The Deputy Commissioner, Kullu, District Kullu, Himachal Pradesh.
- 7. Divisional Forest Officer, Parvati Forest Division, District Kullu, H.P.

8. Guard File.

(C.P. Verma, IAS) Special Secretary (Forests) to the Government of Himachal Pradesh Phone No. 0177-2620887

\*\*\*\*